

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/4850

दिनांक - 27.10.23

प्रार्थी  
1 मूलाराम पुत्र वीरमाराम  
जाति सुथार निवासी  
आईदानसरा पटवार हल्का  
बेरिवाला तला तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 हीराराम पुत्र गंगाराम 2 भेराराम उर्फ मेहराराम पुत्र मालाराम 3  
मांगीलाल 4 पोकरसिंह पिसरान कानाराम जाति मेघवाल निवासी  
आईदानसरा पटवार हल्का बेरिवाला तला 5 बगताराम पुत्र ताजाराम  
जाति जाट निवासी रामसर का कुआ 6 नोजी पत्नी लुम्भाराम 7  
मोडाराम पुत्र लुम्भाराम 8 पेम्पोदेवी पत्नी भोमाराम 9 कंवराराम 10  
शंकर पिसरान भोमाराम 11 पोकरराम 12 खीयाराम 13 मानाराम  
पिसरान लुम्भाराम 14 जीयाराम 15 छगनाराम 16 ठाकराराम  
पिसरान मोतीराम 17 देवाराम पुत्र हेमाराम 18 धाईदेवी पत्नी हेमाराम  
18 पूंजाराम 20 भीखाराम पिसरान हेमाराम जाति सुथार निवासी  
आईदानसरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 21 तहसीलदार  
बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 245/2023

दिनांक- 23.10.23

## आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आईदानसरा पटवार क्षेत्र बेरिवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण व  
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 995/724 रकबा 7.1225 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम  
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया  
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये  
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने  
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की  
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये  
मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर  
दिनांक- 27.10.23

क्रमांक :- रीडर/2023/4851-54

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरिवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय  
रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मूलाराम पुत्र वीरमाराम जाति सुथार निवासी आईदानसरा पटवार हल्का बेरिवाला तला तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी हीराराम पुत्र गंगाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी आईदानसरा पटवार हल्का बेरिवाला  
तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर